न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या जीसीएमएस नम्बर 2025/491

1. प्रहलाद सहाय पुत्र श्री बंशीधर, उम्र 42 वर्ष,
2. गोपाल उर्फ गोपी पुत्र कानाराम, उम्र 75 वर्ष,
3. फूलचन्द उर्फ हरफुल सिंह पुत्र गुल्ला, उम्र 62 वर्ष,
4. गणपत पुत्र गुल्ला, जाति यादव, उम्र 65 वर्ष,
5. श्रवणी देवी पत्नी बंशीधर, उम्र 66 वर्ष,

समस्त जाति अहीर (यादव) निवासीयान ग्राम जसी का बास वाया चला, तहसील नीमकाथाना जिला सीकर, राजस्थान।

— अपीलान्ट्स

बनाम

1. उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर, राजस्थान।
2. भूमिधारक जरिये तहसीलदार नीमकाथाना, जिला सीकर, राजस्थान।
3. पटवारी हल्का पटवार भवन ठीकरिया, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर, राज0।
4. ग्राम पंचायत ठीकरिया जरिये सरपंच, पंचायत समिति नीमकाथाना, जिला सीकर।

— रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर ने मुकदमा संख्या 738/2021 निर्णय दिनांक 06.10.2021 जो प्रार्थना पत्र धारा 131 व 132 भू राजस्व अधिनियम बाबत रास्ते सम्बन्धी प्रकरण के विरूद्ध पारित किया गया।

उपस्थित :—

1. श्री सुमेर सिंह बडसरा, वकील अपीलान्ट्स।
2. राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट नं. 1 लगायत 3 की ओर से।
3. श्री नवीन निठारवाल, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 4 की ओर से।

निर्णय

दिनांक :— 27.01.2026

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर के निर्णय दिनांक 06.10.2021 के खिलाफ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम के साथ दिनांक 24.08.2022 को प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 कैम्प ठीकरिया में आवागमन हेतु सार्वजनिक उपयोग में आ रहे रास्तों का राजस्व अभिलेख में अंकन करने हेतु पटवार मण्डल ठीकरिया के राजस्व ग्राम जस्सी का बास में स्थित भूमि खसरा नम्बर 164 में गौरूराम ठोठवाल से ढबासों के खेतों तक रास्ते का प्रस्ताव मय ग्राम पंचायत ठीकरिया का अनापत्ति प्रमाण पत्र, फर्द मौका रिपोर्ट, नक्शा ट्रेस, जमाबंदी इत्यादि एवं राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 रास्ता दर्ज करने की अभिशंषा रिपोर्ट सहित उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर को भिजवाया गया।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर द्वारा राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा राजस्थान भू—राजस्व अभिलेख नियम 1957 के नियम 58,

59, 60 व 66 के प्रावधानों के अनुसार तहसीलदार नीमकाथाना, जिला सीकर के द्वारा प्रस्तावित संलग्न प्रस्ताव अनुसार राजस्व अभिलेख व नक्शा ट्रैस में दर्ज भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये तथा गैर मुमकिन रास्ते की भूमि संबंधित खातेदार के खाते में ही रहेगी। संलग्न प्रस्ताव व नक्शा ट्रैस के अनुसार राजस्व अभिलेख में जरिये नामान्तकरण रास्ता पृथक खसरा नम्बर अंकित करते हुये रास्ते के रकबे की किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज कर नक्शे में तरमीम की जावें। तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव व नक्शा ट्रैस आदेश का भाग रहेगा तदानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद किये जाने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.10.2021 पारित किये गये है।

3. उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर के उक्त निर्णय दिनांक 06.10.2021 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम के साथ प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर दिनांक 06.10.2021 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने लिखित बहस प्रस्तुत कर दौराने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 06.10.2021 न्याय नियम व रिकार्ड के विपरीत होने के कारण प्रथमदृष्टया ही निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त निर्णय पारित करते समय इस तथ्य पर भी ध्यान नहीं दिया कि किसी भी व्यक्ति के विरूद्व जब तक कोई न्यायिक अथवा अर्द्ध–न्यायिक आदेश पारित नहीं किया जा सकता जब तक कि उसे नोटिस व सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं कर दिया जाता है। मौजूदा प्रकरण में अपीलान्ट की भूमि खसरा नंबर 164 रकबा 3900 हैक्टर किस्म बारानी प्रथम ग्राम जस्सीकाबास तहसील नीमकाथाना जिला सीकर में कृषि खातेदारी कब्जे काश्त भूमि में प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 में स्वयं अप्रार्थी संख्या 4 के खेतों में जाने के लिए प्रचलित रास्ता कृषि खातेदारी कब्जे काश्त भूमि में रास्ता अंकन रिकॉर्ड करवाने के लिए सरपंच ग्राम पंचायत ठिकरिया पंचायत समिति नीमकाथाना द्वारा ग्राम सभा में मन माफिक प्रस्ताव लिया ओर राजस्व गांव जस्सीकाबास में गोरुराम गोठवाल से दबासो के खेतों तक खसरा नंबर 164 प्रचलित रास्ता का अंकन बाबत दिनांक 15.08.2021 को प्रस्ताव संख्या 11 सर्व सहमति से लिया गया था तथा सरपंच रेस्पोडेंट क्रम 4 द्वारा ग्राम पंचायत द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र भी जारी किया गया था। उक्त प्रस्ताव/अनापत्ति प्रमाण पत्र सरपंच द्वारा अपने स्वयं के डबासो के खेतों तक प्रचलित रास्ता सीव बीच के एकतरफ ही खसरा नंबर 164 में नियम विरुद्ध रास्ते का अंकन करवाया गया जबकि दूसरी तरफ खुद की भूमि में नहीं दर्ज कराया गया जिससे आगे कोई आबादी क्षेत्र और गांवों को भी उक्त रास्ता नहीं जोड़ता है।

उक्त प्रस्ताव में कोई रास्ते का मापन और लम्बाई और चौड़ाई भी नहीं लिखी गई है जबकि भूमि का मापन फर्द मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का ठिकरिया और गिरदावर सर्किल और तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा तैयार की गई रास्ता गोरू गोठवाल से डबासो के खेतों तक प्रचलित रास्ता फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 06.10.2021 को बनाई गई थी जिसमें कोई मापन रास्ते लम्बाई और चौड़ाई नहीं दर्शाई गई और मौके पर बिना खातेदारों को कोई नोटिस नहीं दिया गया और कोई सुनवाई के अवसर बिना सूचना के कैम्प में उपखण्ड अधिकारी महोदय ने उसी दिन रास्ता दर्ज के आदेश दिनांक 06.10.2021 को जारी कर दिया गया। रास्ता

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

अपीलार्थीगण कृषि खातेदारी भूमि खसरा नंबर 164 रकबा .3700 हैक्टर में से नया खसरा नंबर 164/1 रकबा .3200 है0 तथा खसरा नंबर 164/2 रकबा .0700 है0 गैर मुमकिन रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। रास्ता भूमि 13 मीटर चौड़ाई का दर्ज नियम विरुद्ध किया गया है। जिससे अपीलार्थीगण खातेदार भूमि की 700 वर्ग मीटर भूमि का नुकसान अधिकारों का हनन हुआ है कोई मुआवजा नहीं दिया गया है। अगर रास्ते के लिए राजस्थान भू राजस्व अधिनियम धारा–251ए के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत करना होगा विधिक प्रक्रिया अनुसार सुनवाई कर दर्ज बाद नोटिस जारी कर पूर्ण सुनवाई बाद निर्णय पारित किया जाता है जिससे रास्ता नियमानुसार प्रावधानों दर्ज की मांग करता जिससे अपीलार्थीगण के अधिकारों का हनन नहीं होता इसलिए उक्त आदेश में विधिक तथ्यों, प्रावधानों की भूल करते हुए आदेश एकतरफा पारित किया गया है। इसलिए विधि विरुद्ध पारित उक्त आदेश को खारिज फरमाया जावे।

ग्राम पंचायत ठिकरिया द्वारा माननीय न्यायालय में अपील नोटिस के बाद ग्राम पंचायत ठिकरिया को रिकॉर्ड रास्ता नाप वस्तुस्थिति की जानकारी होने पर ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम सभा दिनांक 02.10.2025 प्रस्ताव संख्या 6 सर्व सहमति से लिया गया है कि उपस्थित सदन को अवगत कराया कि ग्राम जस्सिकाबास में खसरा 164 में ग्राम पंचायत ठिकरिया प्रस्ताव संख्या 11 दिनांक 15.8.2021 द्वारा प्रचलित रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने का लिया गया था उक्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। उक्त प्रकरण रास्ते के विरूद्व अपील माननीय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर अपील दायर नोटिस बाद उक्त राष्ट्रट्टकी जानकारी करने पर यह तथ्य सामने आया है कि उक्त रास्ते की लम्बाई लगभग 55 मीटर और चौड़ाई 4 मीटर जिसका रकबा .220 वर्ग मीटर के लगभग है। लेकिन उक्त रास्ता सहवन से मानवीय भूल 700 वर्ग मीटर दर्ज हो गया है उक्त रास्ते को दुरस्त करवाने हेतु ग्राम पंचायत कोरम के समकक्ष रखा गया सर्व सहमति प्रस्ताव संख्या 6 दिनांक 02.10.2025 लिया जाकर रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दुरस्त करवाया जावे। इसलिए रास्ता को वर्तमान मौका स्थित के अनुसार दुरस्त के आदेश फरमाए जावे। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों और प्रावधानों की पालना, सुनवाई के अवसर दिए बिना और कृषि भूमि खसरा नंबर 164 के कब्जे काश्त खातेदारों को नोटिस नहीं दिया गया और कोई सूचना बिना फर्द मौका रिपोर्ट बिना मापन प्रचलित रास्ते की तैयार की गई है आज भी मौके पर कोई रास्ता नहीं है इसलिए अपीलार्थी अपील स्वीकार फरमाई जावे।

ग्राम पंचायत की मांग पर हल्का पटवारी ठिकरिया, सर्किल गिरदावर और तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा खसरा नंबर 164 में उक्त प्रचलित रास्ता गोरु गोठवाल से ढबासो के खेतों तक जाने वाला रास्ता की फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 06.10.2021 को तैयार की गई। प्रचलित रास्ता खसरा कृषि भूमि में दर्ज बाबत रिपोर्ट तैयार करने के बाद उपखंड अधिकारी नीमकाथाना द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 131 व 132 भू राजस्व अधिनियम बाबत रास्ता दर्ज के आदेश फरमाए गए। जिसमें खसरा नंबर 164 रकबा .3700 हैक्टर भूमि किस्म बारानी प्रथम कृषि भूमि में दर्ज रास्ता करके खसरा नंबर 164/1 रकबा .3200 हैक्टर और खसरा नंबर 164/2 रकबा 0700 हैक्टर गैर मुमकिन रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की गई है। जबकि उक्त रास्ता की लगभग लम्बाई 55 मीटर और चौड़ाई 4 मीटर के लगभग है जिसका रकबा .0220 वर्ग मीटर जबकि उक्त रास्ता सहवन से राजस्व रिकॉर्ड रकबा 700 वर्ग मीटर में दर्ज हो गया था जिसके लिए ग्राम पंचायत ठिकरिया द्वारा ग्राम सभा दिनांक 02.10.2025 में प्रस्ताव संख्या 6 लिया गया है। जिसकी माननीय न्यायालय में अवलोकनार्थ दस्तावेजात प्रस्तुत है। इसलिए ग्राम पंचायत ठिकरिया द्वारा मौका पर 4 मीटर चौड़ाई और 55 मीटर लंबाई वर्तमान में प्रचलित रास्ता चालू है जिसके

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

अनुसार रास्ता रिकॉर्ड में दुरस्त करने के आदेश फरमाए जावे। इसलिए अपीलार्थीगण अपील स्वीकार करते हुए न्यायालय उपखंड अधिकारी महोदय नीमकाथाना के आदेश दिनांक 06.10.2021 को निरस्त फरमाया जाकर अपील आधार अनुतोष फरमाया जावे। अपीलार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय में प्रस्तुत दस्तावेजात और प्रस्ताव ग्राम पंचायत ठिकरिया द्वारा ग्राम सभा में दिनांक 02.10.2025 को यह सर्व सहमति से प्रस्ताव संख्या 6 के अनुसार प्रचलित रास्ता को राजस्व रिकॉर्ड में दुरस्त किया जाने के आदेश फरमाए जावे। जिससे साफ प्रमाणित होता है कि उक्त एकतरफा आदेश बिना सुनवाई का अवसर दिए बिना नोटिस भूमि खातेदारों अपीलार्थीगण को दिए बिना, बिना विधिक प्रावधानों की पालना के और बिना मापन प्रचलित रास्ते फर्द मौका रिपोर्ट ग्राम पंचायत के प्रभाव में आकर बनाई गई है इसलिए उपखण्ड अधिकारी का आदेश खारिज फरमाया जाना न्यायोचित है। उक्त अपील आदेश में विधिक प्रावधानों की पालना के लिए उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना को रिमांड किया जावे और अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जावे।

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 06.10.2021 में राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 की विधि विरुद्ध विवेचना करते हुए निर्णय पारित किया प्रभावित खसरा भूमि खातेदारों को बिना सुनवाई नोटिस जारी किए बिना प्रावधानों पालना के आदेश पारित किया है भू अभिलेख नियम 1957 के नियम 58 (ए) के तहत कोई फर्द मौका रिपोर्ट तैयार की जाएगी तो उसकी रिपोर्ट प्रति भूमि के संबंधित खातेदारों को दी जाएगी तथा नोटिस देकर सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाता है और फर्द मौका रिपोर्ट पर किसी भी खातेदार के हस्ताक्षर भी नहीं हैं कोई सूचना नहीं दी गई है। बिना विधिक प्रावधानों की पालना के नजर अंदाज करते हुए सरपंच के प्रभाव में आकर हल्का पटवारी, गिरदावर सर्किल और तहसीलदार नीमकाथाना फर्द मौका रिपोर्ट एक दिन में तैयार कर पेश कर उसी दिन निर्णय पारित किया गया जो निरस्त करने योग्य हैं। अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार फरमाई जावे। प्रार्थी/अपीलार्थीगण ने उक्त अपील आदेश दिनांक 06.10.2021 के विरूद्व जो अपील प्रस्तुत की है उसमें प्रार्थीगण को उक्त आदेश की जानकारी दिनांक 12.08.2022 को होने पर दूसरे दिन ही प्रार्थी अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर आदेश दिनांक 06.10.2021 की प्रमाणित प्रतिलिपी प्राप्त करने के लिये दिनांक 16.08.2022 को प्रमाणित प्रतिलिपी प्राप्त होने पर उक्त अपील बिना देरी किये अन्दर मियाद प्रस्तुत की है। इस कारण उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर उक्त अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को न्यायहित में क्षमा कर अपील को गुणावगुण पर निर्णित करना आवश्यक है। प्रकरण के तथ्यों एवं गुणावगुण को दृष्टिगत रखते हुये प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर विलम्ब को कन्डोन किया जावे। अतः श्रीमानजी से निवेदन है कि अपीलार्थीगण /प्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 5 की ओर से लिखित बहस पेश कर निवेदन है कि अपीलार्थीगण उक्त अपील में पेश दस्तावेजात, ग्राम पंचायत प्रस्ताव संख्या 6 का अवलोकन किया जाकर विधिक प्रावधानों की पालना करते हुए उपखण्ड अधिकारी के आदेश दिनांक 06.10.2021 को निरस्त किया जाकर न्यायहित में अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार फरमाए जाने की कृपा करे।

6. रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 लगायत 3 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने दौराने बहस अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुसार ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.10.2021 पारित किया गया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट्स खारिज की जावे।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

7\. रेस्पोंडेन्ट संख्या 04 के अधिवक्ता ने दौराने लिखित बहस प्रस्तुत कर अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त महोदय जयपुर में एक अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 में उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर प्रकरण संख्या 738/2021 में आदेश दिनांक 6.10.2021 के विरुद्ध अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत की गई है। जिसमें माननीय न्यायालय में अपील संख्या (111/2021 पुराना नंबर) नया अपील संख्या 491/2025 दर्ज किया है। अपीलार्थीगण खसरा नंबर 164 रकबा .3900 हैक्टर किस्म बारानी प्रथम ग्राम जस्सीकाबास तहसील नीमकाथाना जिला सीकर में कब्जे काश्त भूमि में प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 में ग्रामीण जनता की मांग पर ग्राम पंचायत ठिकरिया पंचायत समिति नीमकाथाना द्वारा ग्राम सभा में राजस्व गांव जस्सीकाबास में गोरुराम गोठवाल से दबासो के खेतों तक खसरा नंबर 164 प्रचलित रास्ता का अंकन बाबत दिनांक 15.08.2021 को प्रस्ताव संख्या 11 सर्व सहमति से लिया गया था और ग्राम पंचायत द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र भी जारी किया गया था। माननीय न्यायालय में अपील नोटिस के बाद ग्राम पंचायत ठिकरिया को रिकॉर्ड रास्ता नाप वस्तुस्थिति जानकारी होने पर ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम सभा दिनांक 02.10.2025 प्रस्ताव संख्या 6 सर्व सहमति से लिया गया है कि उपस्थित सदन को अवगत कराया कि ग्राम जस्सीकाबास में खसरा 164 में ग्राम पंचायत ठिकरिया प्रस्ताव संख्या 11 दिनांक 15.08.2021 द्वारा प्रचलित रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने का लिया गया था उक्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। उक्त प्रकरण रास्ते के विरूद्व अपील माननीय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर अपील दायर नोटिस बाद उक्त रास्ते की जानकारी करने पर यह तथ्य सामने आया है कि उक्त रास्ते की लम्बाई लगभग 55 मीटर और चौड़ाई 4 मीटर जिसका रकबा 220 वर्ग मीटर के लगभग है। लेकिन उक्त रास्ता सहवन से मानवीय भूल 700 वर्ग मीटर दर्ज हो गया है उक्त रास्ते को दुरस्त ग्राम पंचायत कोरम के समकक्ष रखा गया सर्व सहमति प्रस्ताव संख्या 6 दिनांक 02.10.2025 लिया जाकर रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दुरस्त करवाया जावे। इसलिए रास्ता को वर्तमान मौका स्थित के अनुसार दुरस्त के आदेश फरमाए जावे।

ग्राम पंचायत की मांग पर हल्का पटवारी ठिकरिया, सर्किल गिरदावर और तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा खसरा नंबर 164 में उक्त प्रचलित रास्ता गोरुराम ठोठवाल से ढबासो के खेतों तक जाने वाले रास्ता की फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 06.10.2021 को तैयार की गई। प्रचलित रास्ता खसरा कृषि भूमि में दर्ज बाबत रिपोर्ट तैयार करने के बाद श्रीमान उपखंड अधिकारी महोदय नीमकाथाना द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 131 व 132 भू राजस्व अधिनियम बाबत रास्ता दर्ज के आदेश फरमाए गए। जिसमें खसरा नंबर 164 रकबा .3700 हैक्टर भूमि किस्म बारानी प्रथम कृषि भूमि में दर्ज रास्ता करके खसरा नंबर 164/1 रकबा .3200 हैक्टर और खसरा नंबर 164/2 रकबा .0700 हैक्टर गैर मुमकिन रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की गई है। जबकि उक्त रास्ता की लगभग लम्बाई 55 मीटर और चौड़ाई 4 मीटर के लगभग है जिसका रकबा .0220 हैक्टर जबकि उक्त रास्ता सहवन से राजस्व रिकॉर्ड रकबा 700 वर्ग मीटर में दर्ज हो गया था जिसके लिए ग्राम पंचायत ठिकरिया द्वारा ग्राम सभा दिनांक 02.10.2025 में प्रस्ताव संख्या 6 लिया गया है। जिसकी माननीय न्यायालय में अवलोकनार्थ दस्तावेजात प्रस्तुत है। इसलिए ग्राम पंचायत ठिकरिया द्वारा मौका पर 4 मीटर चौड़ाई और 55 मीटर लंबाई का वर्तमान में प्रचलित रास्ता चालू है जिसके अनुसार रास्ता रिकॉर्ड में दुरस्त करने के आदेश फरमाए जावे। ग्राम पंचायत ठिकरिया द्वारा ग्राम सभा में दिनांक 02.10.2025 को सर्व सहमति से प्रस्ताव संख्या 6 के अनुसार प्रचलित रास्ता को राजस्व रिकॉर्ड में दुरस्त किया जाने के आदेश फरमाए जावे। अपीलार्थीगण की अपील को खारिज फरमाई जावे। अतः

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

श्रीमानजी से निवेदन है कि रेस्पोडेंट्स/अप्रार्थी 4 की ओर से लिखित बहस पेश कर उक्त अपील में पेश दस्तावेजात प्रस्ताव का अवलोकन किया जाकर दुरस्त रिकॉर्ड रास्ता के आदेश फरमाए और अपील खारिज फरमाए जाने की कृपा करे।

8. हमने प्रकरण के अभिलेखों का अवलोकन किया। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलान्ट्स को अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 12.08.2022 को होते ही नकल हेतु आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर नकल प्राप्त करना एवं अपील जानकारी से अन्दर मियाद पेश किया जाना अपने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित किया गया है। अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम तथा प्रार्थना पत्र के संबंध में प्रस्तुत शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुये माननीय उच्चतर न्यायालय द्वारा विलम्ब के प्रकरणों में नरमी का रूख अपनाते हुये गुणावगुण के आधार पर निर्णित करने बाबत पारित नजीरों के आलोक में प्रकरण में नरमी का रूख अपनाते हुये, अपीलान्ट्स का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाकर विलम्ब को कण्डोन किया जाता है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन से जाहिर होता है कि तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 कैम्प ठीकरिया में आवागमन हेतु सार्वजनिक उपयोग में आ रहे रास्तों का राजस्व अभिलेख में अंक़न करने हेतु पटवार मण्डल ठीकरिया के राजस्व ग्राम जस्सी का बास में स्थित भूमि खसरा नम्बर 164 में गौरूराम ठोठवाल से ढबासों के खेतों तक रास्ते का प्रस्ताव मय ग्राम पंचायत ठीकरिया का अनापत्ति प्रमाण पत्र, फर्द मौका रिपोर्ट, नक्शा ट्रेस, जमाबंदी इत्यादि एवं राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 रास्ता दर्ज करने की अभिशंषा रिपोर्ट सहित उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर को भिजवाया गया।

जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा राजस्थान भू-राजस्व अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60 व 66 के प्रावधानों के अनुसार तहसीलदार नीमकाथाना, जिला सीकर के द्वारा प्रस्तावित संलग्न प्रस्ताव अनुसार राजस्व अभिलेख व नक्शा ट्रैस में दर्ज भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये तथा गैर मुमकिन रास्ते की भूमि संबंधित खातेदार के खाते में ही रखने, संलग्न प्रस्ताव व नक्शा ट्रैस के अनुसार राजस्व अभिलेख में जरिये नामान्तकरण रास्ता पृथक खसरा नम्बर अंकित करते हुये रास्ते के रकबे की किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज कर नक्शे में तरमीम किये जाने एवं तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव व नक्शा ट्रैस आदेश का भाग रखने तथा तदानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद किये जाने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.10.2021 पारित किये गये है।

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.10.2021 के तहत ऐसे प्रकरणों के निस्तारण हेतु निर्धारित प्रारूप में विधिक प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए प्रश्नगत रास्तों को बारहमासी तथा मौसम/ऋतुओं के अनुसार नहीं बदलने, आमजन के आने जाने हेतु उपलब्ध तथा सुचारू रूप से आवागमन होना करते हुए, राजस्व अभिलेख के स्थाई रूप से अंकन की अभिशंषा की गई है। केवल मौका स्थितिनुसार रास्ते का अंकन (तरमीम) होकर किस्म गै.मु. रास्ता दर्ज हुई है। फैसल रास्ता खसरा नम्बरान 164 में गौरूराम से ठोठवाल से ढबासों के खेतों तक जाता है। मौके पर प्रचलित रास्ता होने पर आमजन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मौका देखकर रास्ते के प्रस्ताव दिये गये

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

थे। जिसको नियमानुसार स्वीकार कर रिकार्ड में दर्ज करने का निर्णय पारित किया गया है, जो पूर्णतया विधि अनुसार है। अपीलाधीन आदेश तहसीलदार, भू.अ.निरीक्षक व पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं ग्राम पंचायत ठीकरिया के अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने पारित किया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.10.2021 में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.10.2021 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 06.10.2021 को यथावत रखा जाता है।

(दीप्ति कछवाहा)
अति0 संभागीय आयुक्त
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 27.01.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति. संभागीय आयुक्त
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर
जयपुर